ग्राम पंचायत रिट उपरली, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176201 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रिट उपरली, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा हि० प्र० के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती कांता देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री गौरव गुरिंदर बक्शा	01-04-2024 से 01.07.2024
2	श्री ठाणु राम	01.07.2024 से 04.12.2024
3	श्री अजय कुमार(अतिरिक्त कार्यभार)	04.12.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री बलकार सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री गगन चन्द	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–

ग्राम पंचायत रिट उपरली के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है–

क्र0 सं0	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	4.19
2	4.2	स्कीमवाइज ऑनलाईन रोकड़ बहियो तथा समेकित/संयुक्त (Consolidated) रोकड़ बही के अशशेषो मे राशि का अन्तर पाया जाना	2.65
3	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	4.66
4	6	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.55
5	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	2.21
6	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	3.57
7	8.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्राजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	1.64
8	9	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	3.10
9	10	समायोजित आय–व्यय प्रविष्टियां करने बारे	6.33

(ग)गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या– राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/257 दिनांक–22.04.2025 द्वारा अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरो पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 4 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 20 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 20 पैरों के साथ– साथ वर्तमान अंकेक्षण मे प्रारूपित अंकेक्षण आपतियो पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके

अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5	अनिर्णीत	–
2.	5.1	अनिर्णीत	
3.	7	अनिर्णीत	–
4.	8	अनिर्णीत	–
5.	9	अनिर्णीत	–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अभिलेखों की पुष्टि उपरांत
2.	4(क) (ख)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति व बैंक के अंत शेषों मे शून्य अंतर के दृष्टिगत
3.	4(ग)	अनिर्णीत	–
4.	4(घ)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
5.	5	अनिर्णीत	–
6.	6	अनिर्णीत	–
7.	6.2	अनिर्णीत	–
8.	7.1	अनिर्णीत	–
9	7.2	निर्णीत	गत अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की पुष्टि उपरांत
10	7.3	अनिर्णीत	–
11	7.4	अनिर्णीत	–
12	8.1	अनिर्णीत	–
13	8.2	अनिर्णीत	–
13	8.3	अनिर्णीत	–
14	8.4	अनिर्णीत	–
15	8.5	अनिर्णीत	–
16	9	अनिर्णीत	–
17	10	अनिर्णीत	–
18	11	अनिर्णीत	–
19	12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
20	13	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग–दो

2. **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत रिट उपरली के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.07.2025 से 02.08.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2023–25	07/2024	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹3200/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/430(16) दिनांक–02.08.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 **(क).वित्तीय स्थितिः–**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक.– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/430(1) दिनांक.–30.07.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट**–1 में दिया गया है–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	9826.48	301677.98	311504.46	196351.00	115153.46

2.14वां व 15वां वितः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	154488	1318417	1472905	4186	1468719

3.अन्य अनुदानेः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	352797.00	2333968.50	2686765.5	2220470.50	466295

कुल योग (1+3)115153.46+466295=**581448.46**

नोटः–14 वे 15 वे वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 का अंकेक्षण ,ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से कर दिया गया है एवं इससे संबंधित अंकेक्षण आपत्तियां भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(ख).बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹5,81,448.46 तथा प्रस्तुत बैंक खाते/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹162508.46 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वः स्रोत / पांचवा वित्/	के. सी .सी. बैंक नगथ	20031004545	162508.46

	बी.के.वी.एन.वाई/ एस.डी.आर.एफ			
2	हस्त गत शेष दिनांक 31.03.2025 को (स्वः स्रोत की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार)			0
3	हस्त गत शेष दिनांक 31.03.2025 को आईडब्ल्यूडीपी की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार)			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योग:–				₹162508.46
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेष:–				₹581448.46
पंचायत के बैंक खातो का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेष:–				₹162508.46
अन्तर:–				418940

नोट:–अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹4.19 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रिट उपरली द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नही की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹4,18,940/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(2) दिनांक–31.07.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–0 दिनांक–02.08.2025 द्वारा आंकड़ो एवं तथ्यों की पुश्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि, ऑनलाईन रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति व बैंक के अंत शेषों में उपरोक्त राशि का अंतर वित्तीय स्थिति में अधिक पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा असंगत (un-reconciled) अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविश्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। सचिव ग्राम पंचायत रिट उपरली द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातो के अंकेक्षण मे पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नही खोले गये थे, बल्कि स्वः स्रोत, पांचवा वित्त, बी.के.वी.एन.बाई.एस.डी.आर.एफ के लिये संयुक्त खाता संख्या 20031004545 खोला गया था, जो कि पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नही दर्शाता एवं नियमो/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(6) दिनांकः–31.07.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर मे पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 0 दिनांक–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, उक्त अनुदानो का संयुक्त खाता खोला गया। अतः शीर्ष वाईज खातों का अनुसंधारण कर लिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 मे लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2024–25 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नही किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरो से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका मे दर्शाए गए कार्यो हेतु कब–2 कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नही–

क्र. स	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल स0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	नरेगा	निल/13.05.2024	238,239/01.01.2024	निर्माण सुरक्षा दीवार फलड गश को रोकने के लिए चौधरी	125000

				हेविटेशन ड्रेन के साथ वार्ड 7	
2	नरेगा	निल / 27.05. 2024	213977 / 14. 03.2024	निर्माण सुरक्षा कार्य संजय,रण सिंह सुभाष जरनेल इत्यादि जमीन वार्ड 3	84448
3	नरेगा	निल / 27.05. 2024	0094 / 13.03. 2024,213974 / 12.03.2024	निर्माण जीपेवल रोड पीडब्ल्यूडी रोड से संजीव,राकेश,सुदर्शन इत्यादि वार्ड 6	86915
4	सभा निधि	4 / पी / 3 / 15.05.2024		निर्माण / अववर्धन पंचायत घर (टाईल वर्क) वार्ड 4	4950
5	5.वीकेवी एनवाई	10 / पी / 1 / 15.05.2024	320 / 30.06. 2024	निर्माण रास्ता मेन रोड से वाटर सप्लाई नजदीक रणजीत घर इत्यादि वार्ड 4	9000

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानो से प्राप्त की गई आय व उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किये गए संकलित व्यय का भी लेखा खाता / खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपत्तिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:–राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0पृ0का / 2025 / 430(15) दिनांकः–02.08.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 0 दिनांकः–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि 2024–25 की खाता बहियों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड बहियों तथा समेकित / संयुक्त (Consolidated) **रोकड़ बही के अथशेषों में राशि ₹2.65 / –लाख का अंतर पाया जानाः–**

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6(2) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव लेन–देन की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले लेखे तथा विवरणियां सही–सही तथा शीघ्रता से उपलब्ध करवाएगा।

ऑनलाईल रोकड बहियों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **"परिशिष्ट–6"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा समेकित/संयुक्त (Consolidated) रोकड़ बही के अधशेषों में दिनांक 01.04.2024 को राशि ₹264746/– का अंतर पाया गया। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा रोकड बहियों का ऑनलाईन माध्यम से मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं, बल्कि आपत्तिजनक भी है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(4) दिनांक–31.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–0 दिनांक–02.08.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, स्कीमवाईज ऑनलाईल रोकड़ बहियों तथा समेकित/संयुक्त रोकड़ बही में उपरोक्त राशि का अंतर पाया गया, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नही पाया गया।

अतः वर्णित अनियमितता का तथ्य पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसका मिलान करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाईन माध्यम से रोकड़ बहियों का रख–रखाव उचित तरीके से किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 अनुदान की राशि ₹4.66 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का0/2025/430(1) दिनांक–30.07.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनाक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹4,66,295/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वीकेवीवाईएन	31.03.2025	214705.00
2	एसडीआरएफ	31.03.2025	215990.00
3	आरएवाई	31.03.2025	14000.00
4	आईएवाई	31.03.2025	21600.00
		कुल जोड	**466295**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(3) दिनांक–31.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–0 दिनांक–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यो हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आय

6 सम्पत्ति कर/गृहकर की ₹0.55/– लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का0/2025/430(1) दिनांक–30.07.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹54500/–** की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इस राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव मे **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग व अधशेष की भी सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पश्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का0/2025/430(7) दिनांक–01.08.2025 द्वारा सूचित

किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–0 दिनांक–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पत्ति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरांत सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व इसके मांग व संग्रह रजिस्टर अनुरक्षण करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व उक्त से सम्बन्धित मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02/–लाख को बैंक/सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक–04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का0 /2025/430(1) दिनांक–30.07.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत रिट उपरली द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹2200/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु प्राप्ति उपरांत इस राशि को बैंक/सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राशि ₹400 अवधि के अंत में वसूली हेतु शेष थी।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को बैंक/सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0 का/2025/430(8) दिनांक–01.08.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत रिट उपरली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–0 दिनांक–01.08.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यों की पुश्टि करने उपरांत अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान

प्राप्त की गई उक्त राशि को बैंक/सरकारी कोष मे जमा नहीं करवाया गया, अतः राशि ₹400 की वसूली करके व राशि ₹2200 सहित, सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप मे प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप मे प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.21/- लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत रिट उपरली के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार ₹220670/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

इस अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/430(10) दिनांकः–02.08.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर मे पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–0 दिनांकः–02.08.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामग्री क्रय की जाएगी। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 के **पैरा संख्या 8.3** मे दर्ज अंकेक्षणापति के दृष्टिगत, तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दोहराई गई इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि मे इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना की गई समस्त खरीद से हुई हानि की विभागीय स्तर पर जांच कर तदानुसार प्रतिपूर्ति सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत

करना सुनिश्चित करे तथा भविश्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹3.57/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रिट उपरली के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"7"** पर संकलित राशि ₹3,56,798/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था। जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का0/2025/430(11) दिनांक–02.08.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–0 दिनांक–02.08.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि, उक्त राशि का स्टॉक करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर अंकेक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 के **पैरा संख्या 8.4** मे दर्ज अंकेक्षणापति के दृष्टिगत, तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नही पाया गया।

अत: दोहराई गई इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करें तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य मे इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹1.64/–लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नही काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट ''8''** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि के वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹164010/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पश्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/430(12) दिनांकः–02.08.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 0 दिनांकः–02.08.2025 द्वारा आंकड़ो व तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की खनन निर्माण सामग्री क्रय की गई, वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" व "W" प्राप्त किये बिना ही क्रय किया गया व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है, वर्तमान समय से उपरोक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नही पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.4 अग्रिम भुगतान राशि ₹1.11/– लाख समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिम भुगतानों का वितीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा अनुदान के अंतर्गत दो कार्यों को करवाने हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपॉरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹1,11,488/– का अग्रिम प्रदान किया गया है, लेकिन 31.03.2025 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था व उसके समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर/ दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर (₹)	असमायोजित राशि (₹)
1	मनरेगा	निल/27.05.2024/213977	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन जस्सुर	सीमेंट बैग	203	416	84448
2	मनरेगा	निल/27.05.2024/213974	मै0 हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन जस्सुर	सीमेंट बैग	65	416	27040
				कुल जोड़			111488

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(9) दिनांक:–01.08.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–0 दिनांक:–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, हि0प्र0 सिविल सप्लाई जस्सुर को किये गये अग्रिम भुगतान के समायोजन बारे सिविल सप्लाई से पत्राचार करने उपरान्त व समायोजन अभिलेख तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपॉरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके तथा नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में की गई अग्रिम भुगतान राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर व उसके समायोजन से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखो को तैयार करने उपरांत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 निर्माण कार्य के लिय मजदूरी भुगतान करने हेतु अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा भुगतान न करके राशि ₹0.04/– लाख का अधिक भुगतान करने बारे :–

निर्माण लेण्ड लेवलिंग शेपिंग और प्लांटेशन जगदीश, प्रदीप, धर्मेन्द्र इत्यादि की जमीन में वार्ड–5 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 42186 के पृष्ठ संख्या 45 में Earth cutting मद में मजदूरी भुगतान करने हेतु,

अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा न करके, अधिक दर द्वारा **₹3590/–** का अधिक भुगतान किया गया:–

क्र0 सं0	मद / शीर्ष	मद	निश्पादित मात्रा	माप पुस्तिका मे भुगतान हेतु दर्शाई गई दर व मुल्याकित राशि (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अनुमोदित प्राक्कलन दर/अपेक्षित भुगतान (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
1.	नरेगा	Item-1 Earth Cutting	266.70m3	266.70@**120**=32004	31860	266.70@**106**=28270	3590

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/430(15) दिनांक:–02.08.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–0 दिनांक:–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, उक्त कार्य के लिये मजदूरी भुगतान करने हेतु अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा न करके अधिक दर द्वारा करने से उपरोक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी/व्यक्ति से वसूली करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त किये गए अधिक भुगतान को सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखों सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियमानुसार माप–पुस्तिकाओं में उच्च तकनीकी अधिकारियों के अनुमोदन/सत्यापन एवं नमूना जांच उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में राशि ₹3.10/–लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹310313/–**का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका:–

अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि ₹	वांछित अभिलेख
1.नरेगा	निल/ 13.05. 2024	238,239 /01.01. 2024	निर्माण सुरक्षा दीवार फलड गश को रोकने के लिये चौधरी डेविटेशन ड्रेन के साथ वार्ड 7	125000	प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन,माप पुस्तिका
2.नरेगा	निल/2 7.05. 2024	213977/ 14.03. 2024	निर्माण सुरक्षा कार्य संजयरण सिंह सुभाष जरनेल इत्यादि जमीन वार्ड 3	84448	माप पुस्तिका, प्रारूप 34
3.नरेगा	निल/2 7.05. 2024	0094/13 .03. 2024,213 974/ 12. 03.2024	निर्माण जीपेवल रोड पीडब्ल्यूडी रोड से संजीव, राकेश, सुदर्शन इत्यादि वार्ड 6	86915	माप पुस्तिका , प्रारूप 34
4.सभा निधि	4/पी/ 3/15. 05.2024		निर्माण/अववर्धन पंचायत घर (टाईल वर्क) वार्ड 4	4950	प्रस्ताव,प्राक्कलन,माप पुस्तिका, प्रारूप 34
5.वीकेवी एनवाई	10/पी /1/15 ,05.2024	320/30. 06.2024	निर्माण रास्ता मेन रोड से वाटर सप्लाई नजदीक रणजीत घर इत्यादि वार्ड 4	9000	प्रस्ताव, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, प्रारूप 34
			कुल	**310313**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत रिट उपरली से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(**13**) दिनांक–02.08. 2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर मे पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–0 दिनांक 02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य सम्बन्धित अभिलेखो–प्रस्ताव प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि को आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नही पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 राशि ₹6.33/-लाख की अनुचित/असमर्थित/समायोजित (Adjustment voucher) आय-व्यय प्रविष्टियां करने बारे-

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियो के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹632776/-की समायोजित प्रविष्टियां **(Adjustment voucher)** आय-व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी, जिसके समर्थन में कोई बिल/वाउचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया तथा न ही यह प्रविष्टियां सम्बन्धित शीर्ष की बैंक पासबुक में पाई गई, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता व आपतिजनक है:-

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	सभा निधि	आर/01/14 .05.2024	आय	adjustment voucher	निल	115000
2	सभा निधि	आर/02/14 .05.2024	आय	adjustment voucher of own resourses	निल	15639
3	सभा निधि	पी/12/31. 05.2024	व्यय	adjustment voucher cash in hand	निल	5983
4	वी.के.वी. एन.वाई	आर/01/14 .05.2024	आय	adjustment voucher in vkvny	निल	54375
5	एस.डी. आर.एफ	आर/01/14 .05.2024	आय	adjustment voucher of sdrf scheme	निल	88982
6	एस.डी. आर.एफ	पी/03/31. 05.2024	व्यय	This account number is not existed,No fund is available under this account number	निल	288440
7	आर.ए.वाई	आर/01/30 .09.2024	आय	adjustment voucher because iay scheme is closed	निल	7000
8	आईडबल्यू डीपी	पी/01/31. 05.2024	व्यय	IWDP SCHEME IS CLOSED THEREFORE NO BALANCE	निल	2436

				IS LEFT ALSO ACCOUNT IS CLOSED		
9	आईडबल्यू डीपी	पी/03/31.05.2024	व्यय	NO SUCH CASH IN HAND BECAUSE ACCOUNT IS CLOSED	निल	181
10	आईएवाई	पी/01/14.05.2024	व्यय	adjustment voucher because IN IAY NAXAL COMPONENT NO BALANCE IS LEFT AS PER TRIAL BALANCE AND PASSBOOK	निल	7400
11.	आईएवाई	आर/01/30.09.2024	आय	adjustment voucher because iay scheme is closed	निल	10800
12	13वां वितायोग	पी/01/31.08.2024	व्यय	adjustment voucher because thfc scheme is closed	निल	30000
13	13वां वितायोग	पी/02/30.09.2024	व्यय	adjustment voucher because thfc scheme is closed	निल	6540
					कुल योग	632776

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक.राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/430(5) दिनांकः–31.07.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत रिट उपरली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–0 दिनांकः–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की समायोजित आय–व्यय प्रविष्टियां की गई है, जिस बारे अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें मे जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भुगतान आदेश पारित किये बिना ही ₹6.00 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2024 के सभा निधि/5वां वित, वीकेवीएनवाई, एसडीआरएफ व नरेगा, व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर

व भुगतान आदेश पारित किये बिना ही निम्न तालिका अनुसार राशि ₹5,99,413.20/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है:–

क्र0सं0	मद/अनुदान	व्यय
1	सभा निधि/5वां वित	122833
2	वीकेवीएनवाई	54375
3	एसडीआरएफ	88982
4	नरेगा	333223.2
	कुल	**599413.2**

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(15) दिनांक:–02.08.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत रिट उपरली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 0 दिनांक:–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से नियमानुसार भुगतान पास करने उपरांत ही भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति, पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यो का निरीक्षण करेगी। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रिट उपरली द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:–

1. निम्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नही किया गया, जिस कारण

से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:—

क्र॰सं॰	अनुदान	वाउचर सं0 / दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	वीकेवीएनवाई	निल / पी / 2 / 15.05.2024	निल / 0017231	45375
2	एसडीआरएफ	पी / 1 / 15.05.2025	निल / 0017234	20502

2. संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरों को नहीं करवाया गया, जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया है, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4. पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

5. क्रम संख्या 2 पर दर्शाए गए मस्ट्रोल से सम्बन्धित मस्ट्रोल जारी रजिस्टर व किस प्रस्ताव के तहत जारी किया गया, से सम्बन्धित अभिलेख को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त नियमों के अभाव में किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/430(17) दिनांक:—02.08.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—0 दिनांक 02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि मस्ट्रोल के भुगतान से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "7 व 8"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नही की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:–

1. नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नही की गई थी।

2. हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(ग) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

3. नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नही की गई थी।

4 निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलो को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यों के बिलो को निर्माण समिति/वार्ड सदस्यों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया, जिससे वास्तव में सामग्री प्राप्ति के सत्यापन की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

6 चयनित मास 05/2024 के दौरान सभा निधि, वीकेवीएनवाई, एसडीआरएफ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/430(15) दिनांक:– 02.08.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रिट उपरली को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–0 दिनांक:–02.08.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताओं की अंकेक्षण सुझावों/निर्देशों व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 430(1) दिनांक: 30.07.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–0 दिनांक:–02.08.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर / अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एव पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0 सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय / वेतन का	....	....
13	बिजली बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0 सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34
3	डाक प्रेषण रजिस्टर	13	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण मे नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी तत्कालीन स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(1) दिनांकः–30.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–0 दिनांकः–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य मे भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

16.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 मे प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर मे रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नही किया गया। जिस कारण से

अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत रिट उपरली द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत रिट उपरली की अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2024 के मनरेगा अनुदान के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2025/430(15) दिनांकः–02.08.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–0 दिनांकः–02.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही किया जा रहा है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि मास 05/2024 में सामान्य व मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई है। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका**:— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्ष**:— लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य जारी दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े क़दम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)91 / 2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09.
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपूर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत रिट उपरली, विकास खण्ड नूरपूर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

17 **लघु आपति विवरणिका**:— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्ष**:— लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व मते) नियम 2002 के नियमों व अन्य जारी दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

25 NOV 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/डाल
–7216–7220

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)91/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
दूरभाष–0177–2620046

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपूर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रिट उपरली, विकास खण्ड नूरपूर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का0/डाल

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-"4.1(क)"

FINANCIAL POSITION OF GP RIT UPPERLI BLOCK NURPUR DISTT. KANGRA (HP)-176201 FOR THE YEAR 2024-25

OWN SOURCES(SF/5TH SFC/VKVNY)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	9826.48	301677.98	311504.46	196351.00	115153.46

214TH FC & 15TH FC

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	154488	1318417	1472905	4186	1468719

3OTHER GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	352797.00	2333968.50	2686765.5	2220470.50	466295

Note :- It is certified that the Opening Balance(Including Cash in Hand Rs =5983,Bank=3843.48) of Sabha Nidhi as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rit Upperli
Development Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

हस्ताक्षर Karta Devi
दिनांक

क 27

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-" 5 ")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP RIT UPPERLI BLOCK NURPUR DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT THE DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2024-25	0.00	424375.00	424375.00	209670.00	**214705.00**
2	SDRF	2024-25	288440.00	378982.00	667422.00	451432.00	**215990.00**
3	RAY	2024-25	7000.00	7000.00	14000.00	0.00	**14000.00**
4	IWDP	2024-25	2617.00	0.00	2617.00	2617.00	**0.00**
5	IAY	2024-25	18200.00	10800.00	29000.00	7400.00	**21600.00**
6	13TH FC	2024-25	36540.00	0.00	36540.00	36540.00	**0.00**
7	14TH FC	2024-25	331.00	0.00	331.00	331.00	**0.00**
8	15TH FC	2024-25	154157.00	1318417.00	1472574.00	3855.00	**1468719.00**
9	MNREGA	2024-25	0.00	1512811.50	1512811.50	1512811.50	**0.00**
		TOTAL	**507285.00**	**3652385.50**	**4159670.50**	**2224656.50**	**1935014.00**

Note :- It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 as per Online Scheme wise Cashbook

The opening Balance of GIA ,IWDP has been taken including Cash in Hand amt of Rs 181.Hence opening balance of such grant as on 01.04.24 as per online cash book 2617(181+2436)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rit Upperli
Development Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

हस्ताक्षर Kanta Devi
दिनांक

28

ANNEXURE -2([illegible])

FINANCIAL POSITION OF GRANTS IN AID OF GP [illegible] UPPERLI BLOCK NURPUR DISTT. KANGRA H.P. FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT THE DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2024-25	0.00	424375.00	424375.00	209670.00	214705.00
2	SDRF	2024-25	288440.00	378982.00	667422.00	451432.00	215990.00
3	RAY	2024-25	7000.00	7000.00	14000.00	0.00	14000.00
4	IWDP	2024-25	2617.00	0.00	2617.00	2617.00	0.00
5	IAY	2024-25	18500.00	10500.00	29000.00	7400.00	21600.00
6	13th FC	2024-25	36540.00	0.00	36540.00	36540.00	0.00
7	14TH FC	2024-25	331.00	0.00	331.00	331.00	0.00
8	15th FC	2024-25	154157.00	1318417.00	1472574.00	3855.00	1468719.00
9	MNREGA	2024-25	0.00	1512811.50	1512811.50	1512811.50	0.00
		TOTAL	507285.00	3652385.50	4159670.50	2224656.50	1935014.00

Note – It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 is per Online Scheme wise Cashbook.

The opening balance of GIA IWDP has been taken including Cash in Hand amt of Rs 181 Hence opening balance of such grant as on 01.04.24 as per online cash book 2617(181+2436)

परिशिष्ट -03(पैरा संख्या " 4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत रिट उपरली विकास खंड नूरपुर जिला कौंगड़ा हि.प्र.176201

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत रिट उपरली के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र.सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03 -2025 को
1	स्वयं सत्रोत / पांचवा वित्/ वी.के.वी.एन.वाई/ एस.डी.आर-एफ	के. सी .सी. बैंक गंगथ	20031004545	119262.48	162508.46
2	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	आईसीआईसीआई बैंक जसूर	374401000225	168198	1483908
3	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			5983	0
4	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (आईडब्ल्यूडीपी की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			181	0
			कुल योग	293624.48	1646416.46

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rit Upperli
Dev. Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

ग्राम पंचायत रिट उपरली वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

हस्ताक्षर Kanta Devi
दिनांक

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "6")

कार्यालय ग्राम पंचायत रिट उपरली विकास खंड नूरपुर जिला कांगड़ा हि.प्र.176201

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत रिट उपरली में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में परिवारों 632 में सभी परिवारों से 50 /- रुपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	22900	632	50	31600	54500	0	54500

Panchayat Secretary
Gram ... Uparli
Develop... ...pur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

ग्राम पंचायत रिट उपरली वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा)

हस्ताक्षर Kanta Devi
दिनांक

30

परिशिष्ट-"6" पैरा संख्या-7 "

कार्यालय ग्राम पंचायत रिट उपरली विकास खंड नुरपुर जिला काँगड़ा हि.प्र. प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने से राजस्व हानि व वसूली हेतु शेष

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद न०	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	लतीफ़	16.03.2024	03.05.2024	निल	400	0	400
2	अक्षय पठानिया	26.10.2024	06.11.2024	218905	200	200	0
3	राहुल कुमार	03.10.2024	16.11.2024	218906	400	400	0
4	अमित पठानिया	11.10.2024	19.11.2024	218907	400	400	0
5	आशीष जसवाल	12.10.2024	10.12.2024	218908	400	400	0
6	विनय पठानिया	11.10.2024	26.12.2024	218910	400	400	0
7	लेख राज	06.03.2025	28.05.2024	218912	400	400	0
				कुल योग	**2600**	**2200**	**400**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rit Upperli
Development Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

हस्ताक्षर Kanta Devi
दिनांक

34 31

परिशिष्ट -6 (पैरा संख्या '4.2')

कार्यालय ग्राम पंचायत रिट उपरली विकास खंड नूरपुर जिला कॉंगड़ा हि.प्र.176201

1.दिनांक 01-04-2024 को प्रस्तुत स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़बहियों के (नकद व बैंक)अवशेष निम्न थे :-

क्र०	मद/अनुदान	दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत की गई स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़बहियों अनुसार(नकद व बैंक)अवशेष		
		नकद	बैंक	
1	Own Source	5983	3843.48	
2	VKVNY	0	0	
3	IAY	0	18200	
4	RAY	0	7000	
5	IWDP	181	2436	
6	SDRF	0	288440	
7	13TH FC	0	36540	
8	14TH FC	0	331	
9	15^{TH} FC	0	154157	
	TOTAL	**6164**	**510947.48**	**517111.48**

2 दिनांक 01.04.2024 को संयुक्त/समेकित(Consolidated) ऑनलाइन रोकड़बही के (नकद व बैंक)अवशेष:-

	मद/अनुदान	नकद	बैंक	
1	Own Source/All GIAs	**6164**	**775693.48**	**781857.48**
			अंतर(नकद सहित)	**264746**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rit Upperli
Development Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

हस्ताक्षर Kanta Devi
दिनांक

परिशिष्ट–7 पैरा संख्या "31/83"

ग्राम पंचायत रिट उपरली विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना व स्टॉक प्रविष्टियों का भण्डार पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं करना

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.NREGA	NIL/13.05.2024	1 Sand Crasher(m3)	238/01/01/2024	M/S Balwan Singh Govt Contractor Baranda	35	1200	42000	Quatations, SE-1,2,3
		2 Agg(20mm)m3			19	1000	19000	
		3 Agg(40mm)m3			48	1000	48000	
		Mixture machine(Days)			20	600	12000	
		Wall Painting			1	1000	1000	
2.NREGA	NIL/13.05.2024	Cement Carriage	239/01.01.2024	do	194	20	3880	Quatations
3NREGA	NIL/27.05.2024	Paver Blocks(80mm)(sqmtr)	0094/13.03.2024	M/s Navdurga Tiles Indusrty Bandkardian Khel	108	555	59940	Stock Entry
4.NREGA	NIL/13.05.2024	Sign Board (Including GST)	197/07.08.2023	M/S Balwan Singh Govt Contractor Baranda	1	2500	2500	Quatations, SE
5.NREGA	NIL/17.05.2024	Sign Board (Including GST)	198/07.08.2023	M/S Balwan Singh Baranda	1	2500	2500	Quatations, SE
6.SF	04/15.05.2024	Sand Crasher(m3)	246/07.04.2024	M/S Balwan Singh Baranda	2.38	2080	4950.4	Quatations, SE
7.SF	08/15.05.2024	Stationery	96/28.04.2024	M/S Vanshika Enterprises Kandwal	—	—	3580	Quatations, SE
8.SF	11/15.05.2024	First Class Brick (Including 6%GST)	17/24.05.2024	M/S Maharana Banu Partap Lakhanpur Kandwal	540	7	3780	Quatations, SE
9.VKVNY	10/P/1/15.05.2024	Takan(12X12),Bond 4",Tee3"	320/30.06.2024	M/S Krishna Enterprises Lakhanpur	—	—	9000	Quatations, SE
10.NREGA	14/15.05.2024	1) Sand Crasher(m3)	247/10.04.2024	M/S Balwan Singh Govt Contractor Baranda	8.75	2080	18200	Quatations (1-7), SE-1,2,3
		2) Agg(20mm)m3			6.5	1800	11700	
		3) Agg(40mm)m3			12.6	1600	20160	
		Mixture machine(Days)			6	800	4800	
		Water tank(Days)			2	1200	2400	
		Cement Carriage			70	32	2240	
		Shuttering(sq2f)			449	20	8980	
11.NREGA	NIL/27.05.2024	Cement Bags	213977	HPCS Jassur	203	416	84448	Stock Entry
12.NREGA	NIL/27.05.2024	Cement Bags	213974	HPCS Jassur	65	416	27040	Stock Entry
						G/Total	392098.40	or Say 392098

नोट 1:- क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 6 से 10 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया
2. क्रम संख्या 1(1,2,3), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1,2,3) व 11, 12 की स्टॉक प्रविष्टियों को स्टॉक नहीं किया गया।

Pardhan Gram Panchayat Rit Upperi
Development Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

ग्राम पंचायत रिट उपरली वि. ख. नूरपुर (कांगड़ा)

हस्ताक्षर Kanta Devi
दिनांक

83

87

परिशिष्ट - ४(पैरा संख्या - "४.३")

कार्यालय ग्राम पंचायत रिट उपरली विकास खण्ड नूरपुर,जिला कांगडा हि0प्र0 –176201 द्वारा क्रय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	NREGA	NIL/13.05.2024	M/s Balwan Singh Govt.Cont. Baranda	238/01/01/2024	Sand Crasher	35	1200	42000.00
					Agg(20mm)	19	1000	19000.00
					Agg(40mm)	48	1000	48000.00
2	SDRF	14/15.05.2024	M/s Balwan Singh Govt.Cont. Baranda	247/10.04.2024	Sand Crasher	8.75	2080	18200.00
					Agg(20mm)	6.5	1800	11700.00
					Agg(40mm)	12.6	1600	20160.00
3	SF	4/P/3/15.05.2024	M/s Balwan Singh Govt.Cont. Baranda	246/07.4.2024	Sand Crasher	2.38	2080	4950.40
						कुल		164010.40

नोटः–उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई।

T.A. Balkar Singh

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rit Upperli
Development Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.) 176201

Kanta Devi